नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 138
दि. 20.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एआई ने खोला टैक्स चोरी का 'बिरयानी कनेक्शन': 70,000 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाने का चौंकाने वाला खुलासा

हैदराबाद/बेंगलुरु। देश में टैक्स चोरी के खिलाफ चल रही डिजिटल और तकनीकी जांच के बीच एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बिरयानी रेस्टोरेंट चेन से जुड़े एक बड़े नेटवर्क द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाने का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की जांच में यह सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2025-26 तक बिलिंग सॉफ्टवेयर में सुनियोजित तरीके से हेरफेर कर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश अत्याधुनिक डिजिटल फोरेंसिक तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से संभव हो पाया, जिसने लाखों ट्रांजैक्शन के बीच छिपी गड़बड़ियों को उजागर कर दिया।

आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जांच की शुरुआत हैदराबाद स्थित डिजिटल फोरेंसिक और एनालिटिक्स यूनिट से हुई थी, जहां कुछ संदिग्ध लेन-देन और बिक्री आंकड़ों में असामान्य अंतर पाया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला कि कुछ प्रमुख रेस्टोरेंट्स अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से वास्तविक बिक्री को छिपाने के लिए नकद लेन-देन से जुड़े बिलों को जानबूझकर डिलीट कर रहे थे। यह प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत थी कि सामान्य ऑडिट प्रक्रिया में इसे पकड़ पाना लगभग असंभव था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए पूरे देश में इस्तेमाल

हो रहे एक प्रमुख बिलिंग सॉफ्टवेयर के डेटा का विश्लेषण शुरू किया।

इस जांच में लगभग 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स से जुड़े 60 टेराबाइट से अधिक ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें एआई आधारित एल्गोरिद्म का उपयोग कर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की गई। एआई ने लाखों बिलिंग रिकॉर्ड्स की तुलना वास्तविक टैक्स रिटर्न, जीएसटी डेटा और अन्य सार्वजनिक रिकॉर्ड्स से की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हजारों करोड़ रुपये की बिक्री को व्यवस्थित रूप से छिपाया गया था। यह सॉफ्टवेयर देश के रेस्टोरेंट बाजार के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से में इस्तेमाल हो रहा था, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने के बाद बिलिंग सिस्टम से संबंधित एंट्री को एडिट या डिलीट कर देते थे। विशेष रूप से नकद भुगतान वाले बिलों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि ऐसे लेन-देन को ट्रैक करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। कई मामलों में पूरे दिन, सप्ताह या यहां तक कि पूरे महीने का डेटा ही सिस्टम से गायब कर दिया गया था। इससे न केवल आयकर विभाग को कम आय दिखाई जाती थी, बल्कि जीएसटी देनदारी भी कम हो जाती थी, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता था। डेटा विश्लेषण के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कुल 70,000 करोड़ रुपये की छिपाई गई बिक्री में से लगभग 13,317 करोड़ रुपये के बिल सिस्टम में जनरेट होने के बाद डिलीट किए गए थे। इसका मतलब यह है कि बिक्री वास्तव में दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में जानबूझकर उसे मिटा दिया गया ताकि टैक्स देनदारी से बचा जा सके। केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही लगभग 5,141 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाने के प्रमाण मिले हैं। इन राज्यों में 40 रेस्टोरेंट्स की भौतिक और डिजिटल जांच में ही करीब 400 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाने की पुष्टि हुई, जो उनकी कुल बिक्री का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा था। इस घोटाले में पांच प्रमुख राज्य—तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात—सबसे अधिक प्रभावित पाए गए। अधिकारियों के अनुसार, केवल डिलीट किए गए डेटा के आधार पर ही कर्नाटक में लगभग 2,000 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 1,500 करोड़ रुपये और तमिलनाडु में 1,200 करोड़ रुपये की बिक्री छिपाई गई थी। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट्स ऐसे भी पाए गए जिन्होंने डेटा डिलीट करने के बजाय सीधे अपने टैक्स रिटर्न में कम बिक्री दिखाकर टैक्स चोरी की।

जांच के दौरान अहमदाबाद स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सर्वर से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक के कुल 2.43 लाख करोड़ रुपये की बिलिंग का डेटा एक्सेस किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बड़े पैमाने पर डेटा में हेरफेर किया गया था। इस सॉफ्टवेयर में ऐसे फीचर्स मौजूद थे, जिनका उपयोग कर बिलों को बिना किसी स्पष्ट रिकॉर्ड के डिलीट किया जा सकता था। यह सुविधा मूल रूप से तकनीकी सुधार और त्रुटि सुधार के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग टैक्स चोरी के लिए किया जा रहा था।

इस पूरे मामले में एआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। एआई टूल्स ने लाखों ट्रांजैक्शन के पैटर्न का विश्लेषण कर उन असामान्य गतिविधियों की पहचान की, जिन्हें मानव विश्लेषक आसानी से नहीं पकड़ सकते थे।

देशभर में एसआईआर की तैयारी तेज, 22 राज्यों में अप्रैल से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू

नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की व्यापक घोषणा की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल से 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तैयारियां जल्द पूरी करने को कहा गया है।

निर्वाचन आयोग के सचिव पवन दीवान द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर लागू किया जाना है, वहां आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाएं। आयोग का उद्देश्य है कि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाया जाए, फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं और पात्र नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा।

किन राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया

अप्रैल से जिन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया जाएगा, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रशासन को मतदाता सूची को अस्थायी रूप से फ्रीज करने और घर-घर सत्यापन की तैयारियां करने को कहा गया है।

आयोग के अनुसार, जिन राज्यों में यह प्रक्रिया लागू की जाएगी, वहां निर्धारित तिथि से मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी ताकि गहन जांच के दौरान कोई नया नाम बिना सत्यापन के न जुड़ सके। यह कदम मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

बिहार में पूरी, 12 राज्यों में जारी

निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में फिलहाल मतदाता सत्यापन का कार्य जारी है। वहीं असम में एसआईआर के स्थान पर 'स्पेशल रिवीजन' की प्रक्रिया 10 फरवरी को पूरी कर ली गई थी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय स्तर पर एसआईआर का आदेश पिछले वर्ष जून में ही जारी कर दिया गया था, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से राज्यों को शामिल किया जा रहा है।

एसआईआर के तहत क्या होगा

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) प्रत्येक घर पर तीन बार तक जाएंगे। उनका दायित्व होगा कि वे मतदाताओं की पहचान, पता और पात्रता की पुष्टि करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

इस दौरान मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों वाले नामों को हटाया जाएगा। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को जोड़ने की विशेष व्यवस्था की जाएगी। आयोग ने यह भी बताया कि जो मतदाता दूसरे राज्यों में प्रवास कर चुके हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जाएंगी।

उद्देश्य: शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची

एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। कई बार शिकायतें आती हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज है, या मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहते हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। सभी राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि मतदाता सूची पर व्यापक सहमति बन सके। आयोग का मानना है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और इसके बिना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हैं। देश के पांच राज्यों—असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल—में वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में मतदाता सूची का अद्यतन और शुद्धिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, जहां फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या प्रस्तावित हैं, वहां यह प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी ताकि प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

तकनीक और पारदर्शिता पर जोर

निर्वाचन आयोग ने इस बार तकनीक के अधिक उपयोग पर जोर दिया है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से फर्जी प्रविष्टियों की पहचान की जाएगी। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। आयोग का लक्ष्य है कि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और सटीक बनाया जाए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह अभियान सफलतापूर्वक लागू होता है, तो इससे देशभर में चुनावों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता और अधिक सुदृढ़ होगी।

एपस्टीन फाइल्स से उठे वैश्विक तूफान: सत्ता, धन और रहस्यों के जाल में उलझी दुनिया की बड़ी हस्तियां

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे विवादास्पद आपराधिक मामलों में से एक, अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। तथाकथित "एपस्टीन फाइल्स" के सामने आने के बाद वैश्विक राजनीति, उद्योग, फिल्म और राजघरानों से जुड़े कई प्रभावशाली नाम चर्चा में आ गए हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति के अपराधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि कैसे शक्ति, धन और प्रभाव का उपयोग कर वर्षों तक एक संगठित नेटवर्क चलाया गया और लंबे समय तक कानून की पकड़ से बचा गया। जेफरी एपस्टीन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। वे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूल में गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, हालांकि उन्होंने कभी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उनके एक छात्र के पिता ने उन्हें वॉल स्ट्रीट की दुनिया से परिचित कराया। इसके बाद उन्होंने निवेश बैंकिंग में कदम रखा और तेजी से सफलता हासिल की। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी खुद की निवेश कंपनी स्थापित कर ली और अमीर ग्राहकों के लिए वित्तीय प्रबंधन का काम करने लगे।

धीरे-धीरे एपस्टीन का संपर्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों से होने लगा। उन्होंने राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियों, राजघरानों के सदस्यों और फिल्मी हस्तियों के साथ करीबी संबंध बनाए। उनकी जीवनशैली बेहद आलीशान थी, जिसमें निजी विमान, कई देशों में आलीशान संपत्तियां और निजी द्वीप शामिल थे। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा सच छिपा था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया।

2005 में फ्लोरिडा में पहली बार एपस्टीन के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए, जब एक 14 वर्षीय लड़की के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को एपस्टीन के घर से कई संदिग्ध सबूत मिले, जिनमें कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरें शामिल थीं। इसके बाद 2006 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि, 2008 में एक विवादास्पद कानूनी समझौते के तहत उन्हें केवल 18 महीने की सजा हुई, जिसे कई लोगों ने न्याय व्यवस्था की विफलता बताया। यह मामला फिर से 2019 में सामने आया जब एपस्टीन को न्यूयॉर्क में दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार उन पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण का संगठित नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन गिरफ्तारी के एक महीने बाद ही 10 अगस्त 2019 को वे न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े किए और कई लोगों ने इसे संदिग्ध माना। एपस्टीन के मामले ने उस समय और भी बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की बात कही। इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने "एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट" पारित किया और इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का रास्ता साफ हुआ। इन फाइलों में अदालती दस्तावेज, पीड़ितों की गवाही, ईमेल, संपर्क सूची, उड़ानों के रिकॉर्ड, फोटो और वीडियो शामिल हैं।

इन दस्तावेजों में लगभग 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो होने की बात कही गई है, जिनमें कई सामाजिक कार्यक्रमों और निजी समारोहों के दृश्य शामिल हैं। साथ ही, एपस्टीन की प्रसिद्ध "ब्लैक बुक" भी चर्चा में रही, जिसमें दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों के संपर्क विवरण दर्ज थे। हालांकि, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति का नाम इन दस्तावेजों में होना अपराध का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह जांच और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।

एपस्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध भी लंबे समय तक चर्चा का विषय रहे। 1990 के दशक में दोनों को कई सामाजिक कार्यक्रमों में साथ देखा गया था। ट्रंप ने 2002 में एक इंटरव्यू में एपस्टीन को "शानदार व्यक्ति" बताया था। हालांकि, बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए और उन्होंने दूरी बना ली। ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्होंने एपस्टीन से कई वर्षों पहले ही संबंध समाप्त कर लिए थे।

इस मामले में भारतीय मूल के कुछ प्रमुख नामों का भी उल्लेख हुआ है। उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम उन दस्तावेजों में सामने आया, जिनमें एपस्टीन के साथ उनकी बातचीत का उल्लेख बताया गया। इसी तरह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ ईमेल संपर्क का दावा किया गया, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संपर्क केवल पेशेवर था और इसका किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से कोई संबंध नहीं था।

फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों में मीरा नायर और नंदिता दास का नाम भी उन सामाजिक कार्यक्रमों के संदर्भ में सामने आया, जहां एपस्टीन मौजूद था। इन संदर्भों को लेकर भी स्पष्ट किया गया कि किसी कार्यक्रम में मौजूद होना किसी भी अपराध में शामिल होने का प्रमाण नहीं है।

एपस्टीन फाइल्स का महत्व केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। इस मामले ने यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने धन और प्रभाव का उपयोग करके वर्षों तक कानून से बचने की कोशिश की। इसने न्याय व्यवस्था, राजनीतिक पारदर्शिता और प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े किए।

यह मामला आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई पीड़ित अब भी न्याय की मांग कर रहे हैं और जांच एजेंसियां नए तथ्यों की जांच कर रही हैं। एपस्टीन की सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल को इस नेटवर्क में मदद करने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित और व्यापक नेटवर्क था।

एपस्टीन फाइल्स ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कानून के सामने सभी बराबर होने चाहिए, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। यह मामला केवल एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, प्रभाव और न्याय के बीच संघर्ष की एक ऐसी कहानी है, जिसने वैश्विक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है।

भारत-इजरायल की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती: रक्षा सहयोग के नए करार से बढ़ेगा सैन्य आत्मनिर्भरता का रास्ता

नई दिल्ली। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित तेल अवीव यात्रा से पहले दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक नए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने का संकेत दिया है। यह समझौता न केवल रक्षा तकनीक और निर्माण में सहयोग को मजबूत करेगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और वैश्विक रणनीतिक स्थिति को भी सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

भारत और इजरायल के संबंध पिछले तीन दशकों में लगातार मजबूत हुए हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इन संबंधों ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। रक्षा सहयोग इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू रहा है। इजरायल भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और दोनों देश मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा, निगरानी प्रणाली और उन्नत रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। नए समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने इस सहयोग को केवल खरीद-फरोख्त तक सीमित रखने के बजाय संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन के स्तर तक विस्तारित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

यह समझौता इजरायल के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय (SIBAT) की पहल पर तैयार किया गया। इस प्रक्रिया में भारत के रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को बढ़ावा देना और तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। इसके तहत संगोष्ठियों, तकनीकी प्रस्तुतियों और बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकों का आयोजन किया गया, जिससे कंपनियों को संभावित संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिला। इस रक्षा कार्यक्रम में कुल 56 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें 30 भारतीय और 26 इजरायली कंपनियां शामिल थीं। यह भागीदारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों देशों की निजी और सरकारी रक्षा कंपनियां इस सहयोग को लेकर गंभीर और उत्साहित हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व SIDM के महानिदेशक रमेश के. ने किया, जबकि इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह और भारतीय रक्षा अताशे ग्रुप कैप्टन विजय पाटिल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इन वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने इस सहयोग के रणनीतिक महत्व को और अधिक स्पष्ट किया।

इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारत की आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण नीति को मिलेगा। भारत लंबे समय से रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भर रहा है, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा का भारी व्यय होता है, बल्कि रणनीतिक निर्भरता भी बढ़ती है। लेकिन अब भारत "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलों के माध्यम से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इजरायल जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश के साथ सहयोग भारत को अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त करने और घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता विकसित करने में मदद करेगा।

इजरायल रक्षा तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। उसकी विशेषज्ञता विशेष रूप से ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सीमा निगरानी और साइबर सुरक्षा में मानी जाती है। भारत के लिए इन क्षेत्रों में सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त उत्पादन और तकनीकी सहयोग से भारत न केवल अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा सकेगा, बल्कि भविष्य में रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी इजरायल यात्रा इस समझौते को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि और नवाचार जैसे कई क्षेत्रों में नए समझौतों की संभावना है। यह यात्रा भारत-इजरायल संबंधों को और अधिक व्यापक और गहरा बनाने का अवसर प्रदान करेगी।

भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास मजबूत विश्वास और साझा हितों पर आधारित रहा है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर समान दृष्टिकोण रखते हैं। इस सहयोग ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास को मजबूत किया है और यह विश्वास भविष्य में और अधिक सहयोग का आधार बनेगा।

यह समझौता केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस सहयोग से भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक सक्षम बनेगा और वैश्विक रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।

इस नए करार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत और इजरायल केवल साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोगी हैं, जो भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह समझौता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशील व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करना, जिसमें 'बलात्कार के प्रयास' की परिभाषा बदल दी गई थी, केवल एक कानूनी सुधार मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह न्यायिक संवेदनशीलता और गंभीर मामलों मे न्यायिक दृष्टि की स्पष्टता की पुनः पुष्टि भी है। सर्वोच्च अदालत ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप बहाल करके, इस बात पर भी बल दिया कि अपराध के इरादे को, प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कमतर नहीं माना जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस बाबत जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर तल्ख प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, जिसे किसी सभ्य समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल माना गया था। दरअसल, हाई कोर्ट ने माना था कि एक नाबालिग के उरोज पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी ढीली करना और उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास दुराचार की तैयारी थी, न कि बलात्कार का प्रयास, क्योंकि इसमें अपराध की दिशा में कोई सीधा कदम नहीं उठाया गया था। स्वाभाविक रूप से इस तरह की संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ समाज में प्रतिक्रिया होनी ही थी। कहीं न कहीं इस तंग व्याख्या से अपराधी के जघन्य इरादे और प्रयास की अवधारणा को कमजोर करने का जोखिम भी था। निस्संदेह, इस तरह की व्याख्या से महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद ही होते। जाहिर है इस तरह की सोच कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह सुखद ही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संकीर्ण व्याख्या वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्थक हस्तक्षेप किया है। दरअसल, आपराधिक कानून में, प्रयास तब माना जाता है, जब किसी अपराध की तैयारी उस कृत्य को अंजाम देने में बदल जाती है। जो कि इच्छित अपराध के निकट होती है। इस मामले में आरोप- शारीरिक छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने और जबरन घसीटना, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न की ओर एक सुनियोजित कदम की पुष्टि कर देते हैं। जिसे केवल पीड़िता के करुण क्रंदन सुनने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के हस्तक्षेप से ही रोका गया। निस्संदेह, इसके विपरीत मानना यौन हिंसा की वास्तविकताओं और नाबालिगों की असुरक्षा को अनदेखा करना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह फैसला आरोपों की गंभीरता की पुष्टि करता है। ताकि पूर्व सुनवाई में साक्ष्यों की उचित संदर्भ में जांच की जा सके। ऐसे वक्त में जब देश की कई अदालतों के लैंगिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना हो रही थी, यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कानूनी तर्क को संवैधानिक मूल्यों को बनाये भी रखना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जिनका उद्देश्य किसी सभ्य समाज में नागरिकों को आसन्न खतरे से भी बचाना ही होता है। बहरहाल, इस प्रकरण में यह सार्थक हस्तक्षेप इस बात की पुष्टि भी करता है कि कानून बच्चों को न केवल अपराधियों द्वारा अंजाम दिए जा चुके अपराधों से बल्कि भविष्य में आसन्न अपराधों से भी बचाता है। इस प्रकरण के बाद कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल न्यायिक जवाबदेही में संतुलन स्थापित किया, बल्कि आखिरकार आम लोगों के विश्वास को भी बहाल किया है। निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया को न्याय के नैसर्गिक नियमों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। जो देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाने वाला भी होगा। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जब व्यक्ति समाज में चारों तरफ से व सिस्टम से निराश हो जाता है तो न्याय की चौखट उसकी उम्मीद की अंतिम किरण होती है। यदि वहां से भी संवेदनशील पहल होती न नजर आए तो उसका निराश होना स्वाभाविक ही है। सुप्रीम कोर्ट की इस संवेदनशील पहल ने सही मायने में उस आदमी के भरोसे को ही संबल दिया है। जिसका स्वागत किया जाना जरूरी भी है।

एआई में नवाचार के साथ मौलिकता की शर्त

> देश में नवाचार के तंत्र के विकास की दिशा में पहल सार्थक है लेकिन तकनीकी इनोवेशन का मौलिक होना जरूरी है। जबकि एआई की भाषा में नवाचार कुछ तथ्यों और पैटर्न को समझ तय ढांचे में चीजों को पेश कर देना है।

आज हम विकसित दुनिया का जो चेहरा देख पा रहे हैं, उसमें विज्ञान और तकनीकी उन्नति की बड़ी भूमिका है। यही वजह है कि जैसे ही किसी नई तकनीक का आविष्कार होता है, दुनिया में उसे समझने और अपनाने की होड़ पैदा हो जाती है। हाल के अरसे में इंटरनेट के बाद जिस तकनीकी आविष्कार की सबसे ज्यादा चर्चा रही है, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) है। सवा तीन साल पहले नई भूमिका में अवतरित हुई इस तकनीक के कमाल इतने लुभावने हैं कि लगभग हर महीने दुनिया के किसी न किसी कोने से इससे जुड़े किसी नए करिश्मे की खबर आ जाती है। यही वजह कि इस तकनीक में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कदमताल करने की मंशा से भारत सरकार ने वैश्विक स्तर का पांच दिवसीय एक आयोजन 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' नाम से किया और 140 देशों को इसमें आमंत्रित किया।

देश में यह पहल निश्चय ही सराहनीय है, लेकिन तकनीकी नवाचार (इनोवेशन) की कुछ अलिखित शर्तें हैं, जिनमें मौलिकता पहली है। मौलिक और रचनात्मक विचारों-आविष्कारों के बल पर कुछ देश और संगठन तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक मान्यता अर्जित करते हैं और सफलता की नई मीनारें खड़ी करते हैं। अभिप्राय यह कि तकनीकी नवाचार में नकल या कॉपी-पेस्ट जैसी चीजें नहीं चलतीं। इसमें कुछ अलग हटकर कर दिखाना ही सफलता की प्रमुख अनिवार्यता है। इस दृष्टिकोण से 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में घटित कुछ घटनाओं को देखें, तो लगता है कि एक तकनीक के रूप में एआई की जो बड़ी खामी है, वह इसके परिदृश्य में शामिल हो रहे कुछ लोगों-संगठनों को भी अपनी पकड़ में ले चुकी है और उनका व्यवहार इसी के अनुरूप है।

एआई पर तोहमत यह है कि यह अपनी ओर से कुछ नया नहीं रचती या रचनात्मक नहीं जोड़ती है। कुछ आंकड़ों, तथ्यों और पैटर्न को समझकर एक सुनिश्चित ढांचे में चीजों को पेश कर देना ही इसकी भाषा में नवाचार है, जो असल में नहीं है। चीजों को तेजी से संजोकर नए पैटर्न में कोई सामग्री पेश कर देना तो इसे (एआई टूल्स को) आता है, लेकिन यह औसत इंसानी समझ के दायरे से बाहर नहीं जा पाती। जबकि नवाचार इससे काफी अलहदा होता है। यही वजह कि एआई समिट के तीसरे दिन दिल्ली-एनसीआर के एक निजी विश्वविद्यालय की ओर से महासम्मेलन में दिखाए जा रहे एआई रोबोट और सॉकर ड्रोन को लेकर किए जा रहे दावों की सच्चाई सामने आ गई कि इन्हें चीन और कोरियाई कंपनियों से खरीदा गया है, न कि विश्वविद्यालय के तंत्र और छात्रों ने बनाया है। हालांकि विश्वविद्यालय ने सफाई दी कि उनके कैंपस में इन्हें डिवेलप किया जा रहा था, न कि इन्हें बनाया (बिल्ड किया) गया था। अगर ऐसा भी है, तो यह किसी का चित्र या वीडियो देखकर उसकी नकल (डीपफेक) तैयार करने के समकक्ष बैठता है और हमें एआई को लेकर देश में हो रही पहलकदमियों को लेकर ज्यादा गंभीरता से विचार करने को प्रेरित करता है।

यहां एआई को लेकर भारत में हो रहे कथित नवाचार को लेकर सवाल पैदा होते हैं। जैसे, पहला सवाल यह कि क्या हमें वास्तव में इसकी जरूरत है? एक ऐसी तकनीक, जिस पर आरोप हैं कि वह सैकड़ों क्षेत्रों में दखल देते हुए लाखों रोजगार खा जाएगी, आबादी बहुल देश में तभी कोई अर्थ रखती है, जब उससे नई किस्म के दूसरे लाखों रोजगार पैदा हों। अभी इसका सटीक उत्तर मिलने में वक्त है, क्योंकि चैटजीपीटी के नए अवतार में सामने आए अभी इसे महज सवा तीन साल बीते हैं।

दूसरा सवाल है कि क्या भारत को इसे आजमाने की तेजी दिखानी चाहिए? तकनीकें अपनाने व उन्हें समझने को लेकर दुनिया का जो मौजूदा ट्रेंड है, उसके मद्देनजर इस प्रश्न का उत्तर हां है। लेकिन तीसरा अहम सवाल यह है कि आखिर भारत के लोग, सरकार और तमाम संगठन क्या इसमें कोई नवाचार कर पा रहे हैं? इस सवाल का उत्तर दो टुकड़ों में मिलता है। पहला, यदि नवाचार का तंत्र विकसित करने और माहौल बनाने की बात है, तो सरकार और शिक्षण संस्थानों से लेकर तमाम कंपनियां इसमें पूरी ताकत से लग गए हैं- जो सार्थक बात है। लेकिन उत्तर का दूसरा हिस्सा हमें दुविधा में डालता है। यहां यह तथ्य सामने आता है कि तकनीकी नवाचार से जुड़े ज्यादातर मामलों में हमारा देश कॉपी-पेस्ट शैली वाले नवाचार में फंस गया है। हमारे ही आसपास तमाम लोग और कंपनियां गूगल जैसा सर्च इंजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सऐप जैसा सोशल मीडिया मंच या फिर उन्हीं आविष्कारों को दोहराने का प्रयास करते दिखाई देते हैं, जिनका ईजाद अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया में हुआ और हम उनकी नकल तैयार करने लगते हैं। सवाल है कि क्या यह नवाचार है। तो इसका उत्तर है कि यह हमें लकीर का फकीर साबित करता है। हम लीक से हटकर कोई ऐसा नया आविष्कार नहीं कर रहे , जो दुनिया को झकझोर दे और दूसरे देशों को वह भारतीय आविष्कार अपनाने-खरीदने को प्रेरित कर दे।

खासतौर से एआई की बात करें, तो देश में इसे अपनाने को लेकर एक हड़बड़ी भी दिखाई दे रही है जिस कारण गड़बड़ी हो रही है और दुष्प्रभाव पैदा हो रहे हैं- खासकर शिक्षा जगत में। विज्ञान और चिकित्सा जगत में एक नियम बहुत प्रचलित है कि कोई नया ईजाद आमजन के सामने तब तक नहीं लाया जाना चाहिए, जब तक उसके दुष्प्रभावों का सटीक आकलन न हो जाए। फार्मा उद्योग के लिए तो इसके लिए कड़े मानक हैं कि किसी दवा या टीके को बनाने के बाद लंबे समय तक उसका मानव चिकित्सा परीक्षण (ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल) होना चाहिए (कोविड-19 महामारी की जटिल व आपदाकारी स्थितियों को छोड़कर)।

दुनिया के तकनीकी और औद्योगिक विकास के क्रम में भी कोई मशीन या आविष्कार वर्षों या कई बार दशकों के प्रयोगों-परीक्षण के बाद इस स्थिति में आया है कि आमजन उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एआई को अपनाने के संबंध में भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक किस्म का उतावलापन दिखाई दे रहा है। इंटरनेट व तकनीक से जुड़ी कंपनियों को इसमें मुनाफा नजर आ रहा है लेकिन सरकारों पर इसका पर्याप्त दबाव दिखाई दे रहा है कि वे इसे अपनाएं और इसके लायक तंत्र व माहौल पैदा करें।

इसमें संदेह नहीं है कि उद्योग जगत और इंटरनेट से संचालित अर्थव्यवस्था में इस चमत्कारी तकनीक (एआई) के बेशुमार फायदे हैं। इस नजरिए से वहां एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर अपनाना समझदारी हो सकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एआई को लेकर तेजी से बन रही स्वीकारोक्ति किसी दबाव का नतीजा ज्यादा लगती है, बजाय इसकी जरूरत के।

अगर पूछा जाए कि शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और खुद सरकारों के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि वे छात्रों को एआई की जानकारी से लैस करना चाहते हैं। एक सच्चाई यह कि असल में इसके पीछे एआई और डाटा एल्गोरिद्म से जुड़ी तकनीकी व इंटरनेट कंपनियों का दिमाग है। ये कंपनियां अपने कारोबारी मकसद के लिए एआई से जुड़ा डाटा पैदा करके उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं ताकि एल्गोरिद्म को उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कर सकें। विशाल आबादी वाले भारत से ज्यादा डाटा और कौन-सा देश मुहैया करा सकता है। ये कंपनियां सरकारों और शिक्षा जगत को एआई के लिए लुभा रही हैं और इसके लिए बेहद सस्ती दरों पर एआई के एप्लिकेशन (ऐप) और संबंधित तकनीकें बेचकर उन्हें अपने झांसे में ले रही हैं।

एआई की दुनिया बेशक तेज हो, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यह सच्चाई से अलग एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां नकली चीजें असली लगती हैं और पराए ज्ञान को लोग अपना मानकर किसी गफलत के शिकार हो सकते हैं।

प्रेरणा

प्रश्न से प्रकाश तकः एक जागृत आत्मा की यात्रा

रात्रि का वह समय जब संसार का अधिकांश भाग निद्रा में डूबा होता है, कुछ आत्माओं के लिए जागरण का क्षण बन जाता है। शिवरात्रि की एक ऐसी ही पवित्र और गंभीर रात में एक युवा साधक मंदिर के शांत वातावरण में बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी, वातावरण में भक्ति की सुगंध तैर रही थी, और चारों ओर श्रद्धा का मौन विस्तार था। उस युवा साधक का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। वे पूरी श्रद्धा से जागरण कर रहे थे, उनका मन ईश्वर के चिंतन में डूबा हुआ था, और उनकी आत्मा सत्य के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी।

इसी मौन और पवित्र वातावरण में उनकी दृष्टि अचानक एक छोटे से दृश्य पर जाकर ठहर गई। उन्होंने देखा कि जिस शिवलिंग के सामने लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ नतमस्तक होते हैं, उसी के पास रखा प्रसाद एक छोटा सा चूहा बिना किसी भय के खा रहा है। वह दृश्य साधारण था, पर उसके भीतर छिपा संदेश असाधारण था। उस क्षण उनके भीतर एक गहरा प्रश्न उठा—यदि यह प्रतीक वास्तव में सर्वशक्तिमान सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह स्वयं को एक छोटे से जीव से क्यों नहीं बचा सकता? यह प्रश्न केवल मूर्ति या प्रसाद के बारे में नहीं था, बल्कि सत्य और आस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में था।

उस रात उनके भीतर एक नई चेतना का जन्म हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि सच्ची श्रद्धा केवल परंपरा का पालन करने में नहीं, बल्कि सत्य को जानने और समझने में है। उनके मन ने उन्हें यह संकेत दिया कि सत्य को केवल स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव करना और समझना आवश्यक है। यह विचार उनके भीतर इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने घर, परिवार और सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्य की खोज किसी एक स्थान या सुविधा में सीमित नहीं हो सकती।

उन्होंने भारत के अनेक प्रदेशों में भ्रमण किया। उन्होंने आश्रमों में समय बिताया, विद्वानों से संवाद किया और साधुओं के साथ विचार-विमर्श किया। उनका उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं था, बल्कि सत्य की वास्तविकता को समझना था। वे हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखते थे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग धर्म का पालन केवल परंपरा के कारण करते हैं, बिना उसके वास्तविक अर्थ को समझे। उन्होंने अनुभव किया कि जहां ज्ञान का अभाव होता है, वहां अंधविश्वास जन्म लेता है। यह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बना।

उनकी विशेषता यह थी कि वे किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करते थे। वे प्रश्न पूछते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रश्न ही ज्ञान का द्वार है। उनके प्रश्न विद्रोह के नहीं, बल्कि जागृति के प्रतीक थे। वे यह मानते थे कि यदि कोई विश्वास सत्य पर आधारित है, तो वह प्रश्नों से कभी नहीं डर सकता। एक बार एक सभा में उनसे पूछा गया कि उनके इस प्रकार प्रश्न उठाने से समाज में अस्थिरता और अशांति फैल सकती है। यह प्रश्न समाज के उस भय को दर्शाता था, जो परिवर्तन से उत्पन्न होता है। उन्होंने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि अशांति का कारण प्रश्न नहीं, बल्कि असत्य है। जब समाज असत्य को सत्य मानकर जीता है, तब वह भीतर से कमजोर हो जाता है। सत्य समाज को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे शुद्ध और मजबूत बनाता है। उनका यह विचार केवल एक दर्शन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का अनुभव था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है।

उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को ज्ञान और नैतिकता की ओर ले जाना है। उन्होंने वेदों के ज्ञान को पुनः जीवित करने का प्रयास किया, क्योंकि वे मानते थे कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का स्रोत हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईश्वर किसी एक रूप या प्रतीक में सीमित नहीं है, बल्कि वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। उन्होंने धर्म को भय और अंधविश्वास से मुक्त करने का प्रयास किया और उसे ज्ञान और विवेक से जोड़ने का मार्ग दिखाया।

उनकी शिक्षाओं ने समाज में एक नई जागृति उत्पन्न की। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि श्रद्धा और विवेक एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने यह बताया कि सच्ची श्रद्धा वही है, जो ज्ञान पर आधारित हो। उन्होंने समाज में शिक्षा, समानता और सत्य के महत्व को स्थापित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक और बौद्धिक जागृति भी था।

उनका जीवन एक संदेश बन गया—एक ऐसा संदेश जो हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी केवल इसलिए किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परंपरा है। हमें उसे समझना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए और उसे अपने विवेक की कसौटी पर परखना चाहिए। सत्य को जानने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सत्य अक्सर हमारी सुविधा और हमारे विश्वासों को चुनौती देता है।

शिवरात्रि की उस रात का वह छोटा सा दृश्य केवल एक घटना नहीं था, बल्कि एक महान जागरण की शुरुआत थी। उस क्षण ने एक साधारण युवा को असाधारण बना दिया। उसने उनके भीतर सत्य की वह ज्योति प्रज्वलित की, जिसने न केवल उनके जीवन को प्रकाशित किया, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है, वह अंततः स्वयं को और संसार को एक नई दृष्टि प्रदान करता है।

सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि वह एक अनुभव है, जो हमारे भीतर जन्म लेता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तभी सत्य हमारे सामने प्रकट होता है। महर्षि दयानंद का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने भीतर उस साहस को जगाना चाहिए, जो हमें सत्य की ओर ले जाए। क्योंकि सत्य ही वह प्रकाश है, जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है।

जमीनी हकीकत से कटे कम्युनिस्ट

कार्ल मार्क्स ने कहा था, ईश्वर का शुक्र है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओत्से तुंग ने 1967 में उनसे मिलने गए नक्सली नेता कानू सान्याल और तीन अन्य से कहा था, 'यहां आपने जो भी सीखा, उसे भूल जाएं और अपने देश की स्थिति के अनुसार काम करें।' दुर्भाग्य से विभिन्न धाराओं में बंटे हमारे कम्युनिस्ट दलों और उनके नेताओं ने मार्क्स और माओत्से तुंग की बातों पर अमल नहीं किया। नतीजतन गत सौ वर्षों में उन्होंने पाया कम और खोया अधिक। अब वे मुख्यतः केरल में प्रभावी रह गए हैं। अभी हाल में कुछ मजदूर संगठनों के साथ अधिकतर वामपंथी संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जब भारत बंद बुलाया तो उसका असर केवल केरल में ही दिखा। कुछ समय पहले जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की स्थापना के सौ वर्ष पूरे हुए तो देश में कोई हलचल नहीं हुई। यदि भाकपा ने देश के सामाजिक तानेबाने और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यनीति बनाई होती तो आज वे इतने दुबले नहीं होते। भाकपा का विभाजन 1964 में हुआ और उससे टूटकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) बनी। विभाजन का आधार कोई भारतीय समस्या नहीं, बल्कि चीन के प्रति भारतीय कम्युनिस्टों के एक बड़े हिस्से का रुख था। 1967 में कम्युनिस्टों से निकले नक्सलियों ने नारा दिया-चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन और सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ऐसे नारे लगाने वाले अतिवादी कम्युनिस्टों की हिंसक जमात भी कई टुकड़ों में बंटी। दशकों तक नेपाल से लेकर आंध्र तक हथियारों के बल पर लाल गलियारा बनाने की कोशिश में हजारों जानें गईं। बीते कुछ समय से गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हम 31 मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद यानी माओवाद खत्म कर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस गति से उनका दायरा सिमट रहा है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने में सफल हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार माओवादी हिंसा के चलते देश में करीब 12 हजार लोगों की जान जा चुकी है। इनमें नागरिक, सुरक्षाकर्मी और माओवादी हिंसक तत्व शामिल हैं। अन्य स्रोत यह आंकड़ा कुछ अधिक ही बताते हैं। माओ ने जब भारतीय कम्युनिस्टों से कहा था कि अपने देश की स्थिति के अनुसार काम करो तो अतिवादी कम्युनिस्टों को इसका आकलन करना चाहिए था कि भारत जैसे देश में सैन्यवाद की सफलता की कितनी गुंजाइश है? भारत में एक मजबूत संसदीय शासन व्यवस्था है और सेना एवं अर्धसैनिक बलों को पराजित करना संभव नहीं। भारत की स्थिति न तो 1917 के रूस जैसी है और न ही 1949 के चीन जैसी। 1917 में लेनिन और उनके दल ने हथियारों के बल पर रूस में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की थी। इसी तरीके से माओत्से तुंग ने 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन कायम किया। हथियार उठाने की जगह भारत के अतिवादी कम्युनिस्ट लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर सफलता पा सकते थे, क्योंकि कभी उन्होंने बड़ी संख्या में युवकों को आकर्षित किया था, पर चुनाव लड़ने वाली भाकपा और माकपा भी अपनी गलत रणनीतियों और भारतीय समाज के बारे में अपनी नासमझी के कारण अंततः दुबली होती चली गईं। बंगाल और त्रिपुरा से वाम मोर्चा का सफाया हो चुका है। अगले विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे को केरल में भी कड़ी चुनौती मिल सकती है। बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने शुरुआती दिनों में भूमि सुधार के क्षेत्र में अच्छे काम किए, पर उसके बाद उसने जो कुछ किया, वह सब उत्पादक साबित नहीं हुआ। जनसमर्थन बरकरार रखने के लिए उसने बड़े पैमाने पर स्थानीय बाहुबलियों को संरक्षण देने के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दिया और उन्हें नाजायज तरीके से मतदाता बनाया। जब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के कारण बंगाल के सात जिलों में सामान्य प्रशासन चलाना कठिन हो गया तो मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने गंभीर चिंता प्रकट की। नतीजतन अल्पसंख्यक मतदाताओं ने थोकभाव में तृणमूल कांग्रेस को अपना लिया। मौजूदा बंगाल विधानसभा में माकपा का प्रतिनिधित्व शून्य है। हमारे कम्युनिस्ट दल इस्लामिक अतिवाद के खिलाफ अभियान को आम मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सरकार ने शिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों को बलपूर्वक काबू में रखा है। चीन का तर्क है कि हमारा यह क्षेत्र इस्लामिक अतिवाद से पीड़ित है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने इस इलाके को आतंकवाद से बचाएं। भारत के कम्युनिस्ट वोट के लिए इस्लामिक अतिवादी तत्वों के प्रति नरम रहते हैं।

एक समय केरल में वाम मोर्चा के कट्टरपंथी पीएफआइ से मधुर संबंध थे। जब केरल के डीजीपी ने सिफारिश की थी कि पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाया जाए तो वाम मोर्चे के मुख्यमंत्री ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। जब पीएफआइ ने बड़े पैमाने पर हिंसा की तो केरल हाई कोर्ट ने उसके सदस्यों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। मजबूर होकर वाम सरकार ने ऐसा किया। इस पर केरल के मुस्लिम वाम मोर्चा छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले गए। नतीजतन 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को 20 में से 18 सीटें मिलीं। अगले विधानसभा चुनाव में यहां वाम दलों का भविष्य अनिश्चित है। लगभग पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट आमने-सामने रहे हैं, पर भारत के कम्युनिस्ट ऐसे तत्वों के प्रति नरमी बरतते हैं।

अभियान

सालासर बालाजी: आस्था का वह दिव्य केंद्र जहां हर प्रार्थना बनती है विश्वास की शक्ति

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ ऐसे तीर्थस्थल हैं, जो केवल पूजा के स्थान नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और चमत्कार के जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर ऐसा ही एक सिद्धपीठ है, जहां भगवान हनुमान अपने अद्वितीय दाढ़ी और मूंछों वाले स्वरूप में विराजमान हैं। यह स्वरूप पूरे भारत में केवल यहीं देखने को मिलता है, और यही विशेषता इस मंदिर को अत्यंत अद्वितीय और पूजनीय बनाती है। इस धाम में आने वाला हर श्रद्धालु अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करता है, जो उसे ईश्वर से सीधे जोड़ देती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करते ही एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होता है। यहां का प्रत्येक कोना भक्ति और श्रद्धा से ओत-प्रोत दिखाई देता है। प्रवेश द्वार के भीतर बाईं ओर दीवार पर अंकित सिंदूरी हनुमान जी की छवि भक्तों का स्वागत करती है। श्रद्धालु इस छवि के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और सिक्का चिपकाकर अपनी श्रद्धा और विश्वास को व्यक्त करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और भक्त इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षण मानते हैं।

जैसे-जैसे श्रद्धालु मंदिर के भीतर आगे बढ़ते हैं, वातावरण में गूंजती "जय श्रीराम" और "राम राम" की ध्वनि उनके हृदय को भक्ति से भर देती है। मंदिर की दीवारों पर अंकित प्राचीन चित्र और धार्मिक प्रतीक इस स्थान की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गरिमा को दर्शाते हैं। मुख्य गर्भगृह के समीप पहुंचते ही भक्तों का मन भावनाओं से भर जाता है, क्योंकि वे उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने जा रहे होते हैं, जिसे देखने के लिए वे दूर-दूर से आए हैं।

गर्भगृह में विराजमान बालाजी का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत है। सिंदूरी रंग से सजा उनका मुखमंडल, स्पष्ट दिखाई देती दाढ़ी और मूंछें, और उनके ऊपर सजा स्वर्ण छत्र इस स्वरूप को और भी दिव्य बना देते हैं। उनके बगल में सजी स्वर्ण गदा उनके पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। चारों ओर स्वर्ण और रजत की कलाकृतियां इस स्थान की भव्यता को और अधिक बढ़ाती हैं। जब भक्त इस स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो उनके मन में एक गहरी श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो बालाजी स्वयं उनके जीवन की हर समस्या को समझ रहे हों और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों।

मंदिर में दर्शन की व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित है। भक्त कतारों में खड़े होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ सीढ़ियां उतरकर बालाजी के सम्मुख पहुंचते हैं। यह क्षण उनके लिए अत्यंत भावुक होता है। वे अपने मन की हर बात भगवान से कहते हैं—अपनी पीड़ा, अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं और अपने सपने। यह संवाद शब्दों से अधिक भावनाओं का होता है। दर्शन के बाद भक्त कुछ सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके मन में एक नई शांति और संतोष का अनुभव होता है।

इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं भक्तों के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाती हैं। यहां नारियल बांधकर मन्नत मांगने की परंपरा अत्यंत प्रसिद्ध है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा में नारियल बांधते हैं और विश्वास करते हैं कि बालाजी उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वे पुनः मंदिर आकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित विशाल हवन कुंड में इन नारियलों की आहुति दी जाती है और उसकी भस्म को भक्त अपने साथ प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं। यह भभूति उनके लिए भगवान के आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक होती है। यहां गदा अर्पित करने की परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्त सिंदूरी रंग की गदा अर्पित करते हैं और "जय श्रीराम" का जयकारा लगाते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह परंपरा भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से गदा अर्पित करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास भी अत्यंत प्रेरणादायक है। सन 1755 में नागौर जिले के असोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसे भूमि के भीतर से हनुमान जी की एक अद्भुत मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें दाढ़ी और मूंछें थीं। यह घटना एक दिव्य संकेत मानी गई। उसी समय संत मोहनदास जी को स्वप्न में आदेश मिला कि इस मूर्ति को सालासर में स्थापित किया जाए। उन्होंने इस आदेश का पालन किया और श्रावण शुक्ल पक्ष के शनिवार को इस मूर्ति की स्थापना सालासर में की गई।

सन 1759 में इस मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। कुशल कारीगरों ने अपनी कला से इस मंदिर को एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। संत मोहनदास जी द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति आज भी निरंतर जल रही है। यह ज्योति भक्तों के विश्वास और आस्था का प्रतीक है, जो सदियों से निरंतर जलती आ रही है। जब मूर्ति की स्थापना हुई थी, तब उस किसान की पत्नी ने बाजरे के चूरमे का भोग लगाया था। तभी से चूरमे का भोग बालाजी को अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। आज भी मंदिर में प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू, चूरमा और अन्य पारंपरिक मिठाइयां श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती हैं।

मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दर्शन का क्रम सुबह से रात तक चलता है और दिन में तीन बार आरती होती है। आरती के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत दिव्य और भावनात्मक हो जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की श्रद्धा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है।

हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहां विशाल मेले आयोजित होते हैं। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु सालासर धाम पहुंचते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है, जहां हर ओर केवल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का प्रवाह दिखाई देता है।

सालासर बालाजी धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था का वह पवित्र स्थान है, जहां भगवान और भक्त के बीच का संबंध सीधे हृदय से जुड़ता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई आशा, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा का अनुभव करता है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि सच्ची आस्था में अपार शक्ति होती है और जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। यही कारण है कि सालासर बालाजी का यह दिव्य धाम आज भी करोड़ों भक्तों के लिए विश्वास, भक्ति और चमत्कार का जीवंत प्रतीक बना हुआ है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सड़क सुरक्षा पर राजकोट में कड़ा एक्शन : पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में रोड सेफ्टी को लेकर सख्त फैसले

राजकोट। तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बढ़ते वाहनों की संख्या, यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही से वाहन चलाने की प्रवृत्ति दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रही है। इसी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजकोट सिटी रोड सेफ्टी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने की। इस बैठक में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने, यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और वाहनों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अपराधों में भी इनका उपयोग होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए ऐसे वाहनों की पहचान कर न केवल चालान किया जाए, बल्कि उनके मालिकों और चालकों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जाए। इस कदम का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों और हाईवे से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि माधापर चौकड़ी, बेडी चौकड़ी और ग्रीनलैंड चौकड़ी जैसे व्यस्त क्षेत्रों में सड़क को समतल करने और बाएं मुड़ने की व्यवस्था को सुगम बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि सड़क की खराब स्थिति या असमान सतह के कारण वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। सड़क सुधार कार्यों के माध्यम से इन जोखिमों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में अवैध रूप से मीडियन गैप तोड़ने की समस्या पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। कई वाहन चालक समय बचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए मीडियन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सड़क की संरचना प्रभावित होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए हाईवे पर CCTV कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि नियम तोड़ने वालों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पुलिस कमिश्नर ने शहर के प्रमुख चौराहों, स्कूलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात बाधित करने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग सड़कों के किनारे या चौराहों के पास वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। बैठक में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। एसटी विभाग और नगर निगम के बस चालकों की नियमित नेत्र जांच कराने के निर्देश दिए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चालक पूरी तरह स्वस्थ और सक्षम हैं। वाहन चलाते समय चालक की दृष्टि और स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। नियमित स्वास्थ्य जांच से इस जोखिम को कम किया जा सकता है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग ने बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा माह-2026 के तहत आयोजित विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रस्तुत की। जनवरी माह में रैलियों, जागरूकता अभियानों, पैम्फलेट वितरण और वाहनों पर रेडियम पट्टी व रिफ्लेक्टर लगाने जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाना था। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए, जिससे छात्रों और युवाओं को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके।

नगर निगम द्वारा भी सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गति सीमा संकेतक लगाए गए हैं, यातायात सिग्नलों की मरम्मत और पुनर्स्थापना की गई है तथा सड़कों से अवरोध हटाने का कार्य किया गया है। इन प्रयासों से यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद मिल रही है। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेंद्र बगड़िया, यातायात एसीपी, आरटीओ अधिकारी आई.सी. टांक, सड़क सुरक्षा सलाहकार जे.वी. शाह, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रूडा, राज्य आर एंड बी विभाग और एसटी विभाग सहित कई अधिकारियों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों का मिलकर कार्य करना आवश्यक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि लोग यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय सतर्क रहें और जिम्मेदारी के साथ सड़क का उपयोग करें, तो दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी लाई जा सकती है। प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदम तभी प्रभावी होंगे, जब नागरिक भी उनका समर्थन करें और नियमों का पालन करें।

राजकोट में आयोजित यह बैठक सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में लिए गए सख्त निर्णय और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इन प्रयासों से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी मजबूत होगा और वे अधिक सुरक्षित वातावरण में यात्रा कर सकेंगे।

सड़क सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और जागरूकता आवश्यक है। प्रशासन द्वारा उठाए गए ये कदम राजकोट को एक सुरक्षित और अनुशासित शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि इसी प्रकार सख्ती और जागरूकता के साथ कार्य किया जाता रहा, तो भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी और नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात का लाभ मिल सकेगा।

कामरेज में बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल सिटी, दक्षिण गुजरात को मिलेगा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र

सूरत। दक्षिण गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए गुजरात सरकार ने सूरत जिले के कामरेज क्षेत्र में लगभग 1450 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल और अत्याधुनिक मेडिकल हब विकसित करने की घोषणा की है। यह परियोजना न केवल सूरत बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति साबित होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया गया है, जिसमें शुरुआती चरण में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और निर्धारित समय सीमा में इसे पूरा किया जा सके।

इस मेडिकल हब की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि एक ही परिसर में जनरल अस्पताल के साथ तीन अलग-अलग सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। इससे मरीजों को विभिन्न प्रकार के जटिल और गंभीर रोगों के उपचार के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरा परिसर आधुनिक तकनीक, उन्नत चिकित्सा उपकरणों और विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी।

इस परियोजना के तहत एक विशाल जनरल ब्रॉड स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 1500 बेड की क्षमता होगी। यह अस्पताल सामान्य और जटिल दोनों प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए पूरी तरह सक्षम होगा। इसके अलावा, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक समर्पित कार्डियक और न्यूरो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक बेड की सुविधा होगी। यह अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ काम करेगा, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और अन्य गंभीर बीमारियों का प्रभावी उपचार संभव हो सकेगा।

इसी तरह, किडनी और मूत्र संबंधी रोगों के उपचार के लिए यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक बेड की व्यवस्था होगी। यह अस्पताल डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य जटिल उपचार प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह सक्षम होगा। इसके अलावा, कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के इलाज और अनुसंधान के लिए एक समर्पित कैंसर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक बेड होंगे। यह अस्पताल आधुनिक रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और कैंसर रिसर्च की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

यह पूरा मेडिकल हब केवल उपचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च की भी उन्नत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे न केवल चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इस परियोजना से डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हजारों रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

कामरेज का भौगोलिक स्थान इस परियोजना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जा रहा है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है, जिससे यहां तक पहुंचना आसान होगा और आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। सड़क और परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता के कारण यह मेडिकल हब दक्षिण गुजरात के अलावा उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के मरीजों के लिए भी एक प्रमुख उपचार केंद्र बन सकता है।

इस परियोजना से सूरत और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों को अहमदाबाद, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इससे न केवल मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि समय की भी हानि होती है। कामरेज में इस मेडिकल हब के बनने से मरीजों को अपने ही क्षेत्र में विश्वस्तरीय उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुलभाई पानशेरिया ने इस परियोजना को दक्षिण गुजरात के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह मेडिकल हब सूरत को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म के मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यहां अत्याधुनिक डायग्नोसिस, उपचार, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को विश्वस्तरीय सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

सोना वायदा में 578 रुपये और चांदी वायदा में 1532 रुपये की वृद्धिः क्रूड ऑयल वायदा 86 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 135939.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 27315.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 108621.74 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 38390 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2026.22 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20201.08 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 155132 रुपये के भाव पर खूलकर, 157185 रुपये के दिन के उच्च और 155116 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155761 रुपये के पिछले बंद के सामने 578 रुपये या 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ 156339 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 213 रुपये या 0.17 फीसदी औंधकर 127101 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 21 रुपये या 0.13 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15918 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मार्च वायदा 153413 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 155000 रुपये और नीचे में 152800 रुपये पर पहुंचकर, 539 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 154134 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 154038 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156730 रुपये और नीचे में 154038 रुपये पर पहुंचकर, 155424 रुपये के पिछले बंद के सामने 399 रुपये या 0.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 155823 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 242439 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 248596 रुपये और नीचे में 242439 रुपये पर पहुंचकर, 244268 रुपये के पिछले बंद के सामने 1532 रुपये या 0.63 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 245800 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1904 रुपये या 0.77 फीसदी की बढ़त के साथ 249457 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1866 रुपये या 0.75 फीसदी की तेजी के संग 249365 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। मेटल वर्ग में 4300.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 12.85 रुपये या 1.09 फीसदी गिरकर 1168.5 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.5 रुपये या 0.46 फीसदी औंधकर 323.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1 रुपये या 0.32 फीसदी औंधकर 307.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 30 पैसे या 0.16 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 187.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 27315.12 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 108621.74 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 20201.08 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38390 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2759.07 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5959 रुपये के भाव पर खूलकर, 6021 रुपये के दिन के उच्च और 5921 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 86 रुपये या 1.46 फीसदी की तेजी के संग 5989 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 77 रुपये या 1.3 फीसदी की बढ़त के साथ 5984 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 277.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 279.2 रुपये और नीचे में 272.3 रुपये पर पहुंचकर, 268.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 9.6 रुपये या 3.57 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 278.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 9.2 रुपये या 3.42 फीसदी की मजबूती के साथ 278.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 961.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.6 रुपये या 0.27 फीसदी गिरकर 956 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11576.77 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8624.30 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3766.82 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 230.74 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 31.35 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 263.05 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1652.55 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1101.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.28 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9236 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 64724 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32014 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 428821 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 62064 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9313 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18193 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 64666 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21559 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25890 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 38438 पॉइंट पर खूलकर, 38683 के उच्च और 38330 के नीचले स्तर को छूकर, 364 पॉइंट बढ़कर 38390 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 65.2 रुपये की बढ़त के साथ 350.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.1 रुपये की बढ़त के साथ 6.65 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 187.5 रुपये की बढ़त के साथ 1711 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 280000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 210 रुपये की गिरावट के साथ 816 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.23 रुपये की गिरावट के साथ 5.1 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 25 पैसे के सुधार के साथ 0.58 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 42.2 रुपये की गिरावट के साथ 333.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5 रुपये की गिरावट के साथ 3.95 रुपये हुआ। सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 18 रुपये की गिरावट के साथ 1173 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 309 रुपये की गिरावट के साथ 643.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.65 रुपये की बढ़त के साथ 2.94 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6 पैसे की नरमी के साथ 1.49 रुपये हुआ।

"सूरत के बाजार में एजेंसियों और दलालों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण व्यापारी भुगतान में फंसे हुए हैं।"

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर, जिसे वस्त्र बाजार और हीरा शहर के नाम से जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय बाजार है। इन बाजारों से विदेशों में माल का निर्यात होता है। भारत के कई राज्यों में भी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का व्यापार होता है। ये वस्त्र थोक व्यापारियों से लेकर अर्ध-थोक व्यापारियों तक, एजेंसी और बिचौलियों के नियंत्रण में खुदरा ग्राहकों तक बाजार की नीतियों, नियमों और विनियमों के अनुसार बेचे जाते हैं। थोक व्यापारी अपनी विश्वसनीयता का लाभ उठाते हुए, करोड़ों रुपये का माल देश के अन्य राज्यों और विदेशों में उन्हीं एजेंसियों और बिचौलियों के माध्यम से बेचते थे। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए, एजेंसियां और बिचौलिए माल खरीदने वाले व्यापारियों से अपने नाम पर बिल बनाते थे, कानून के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए, बिचौलिए और एजेंसियों के प्रबंधक अपने नाम पर जल्दी भुगतान ले लेते थे और लंबे समय तक थोक व्यापारियों को भुगतान नहीं करते थे। इससे तंग आकर थोक व्यापारी अंततः माल खरीदने वाले मूल पक्ष को फोन करते हैं, पूरा भोपाल हंगामा मच जाता है और थोक व्यापारी हैरान रह जाते हैं। जब एजेंसियों या बिचौलियों से माल के बकाया भुगतान की मांग की जाती है, तो वे गुस्से में आकर व्यापारियों के सामने हाथ मिला लेते हैं। मीठी-मीठी बातें करने के बाद, एजेंसियों और बिचौलियों के प्रबंधक अंततः अपने खातों के चेक थोक व्यापारियों को देकर मामले को शांत कर देते हैं।

लेकिन ये एजेंसियां और बिचौलिए व्यापारियों द्वारा दिए गए चेक को तय तारीख पर जमा नहीं करते और समय बर्बाद करते हैं, जिससे चेक की तारीख बीत जाने के बाद थोक व्यापारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते। पुलिस और अदालती चक्करों से बचने के लिए एजेंसियां और बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं। इस तरह, थोक व्यापारियों के भुगतान नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, अधिक प्रतिशत काटकर भुगतान ले लेते हैं और एजेंसी प्रबंधक और बिचौलिए हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और देश-विदेश में रातें बिताते हैं। वहीं, मूल माल का मालिक, यानी थोक व्यापारी, देश-विदेश में बसों और ट्रेनों से यात्रा करके ग्राहक से बकाया राशि वसूलता है। जब ग्राहक थोक व्यापारियों को बताता है कि उसका भुगतान दो महीने पहले ही हो चुका है, तब व्यापारी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।

इस तरह की कार्यप्रणाली में बिचौलिए और एजेंसियां बंद दुकानों को किराए पर लेती हैं और थोक व्यापारियों से सामान खरीदने के लिए अन्य तीसरे पक्षों को नियुक्त करती हैं, फिर सामान को अन्य लोगों को बेच देती हैं, दुकान की खिड़कियां बंद कर देती हैं और रात भर काम करती हैं, जिससे थोक व्यापारी पीड़ा से कराहते हैं।

अब, इसी तरह, हीरे के कारोबार में भी, हीरा निर्माताओं के भुगतान खरीदारों द्वारा चुराए जा रहे हैं। अतीत में, कारीगरों को भुगतान न मिलने से निराश होकर निर्माताओं ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में, खरीदार कच्चे माल का आयात करते हैं और हीरा निर्माता हीरा कारीगरों से वही माल तैयार करवाकर खरीदारों द्वारा उस पक्ष को निर्यात किया जाता है। खरीदारों द्वारा भुगतान ले लिया जाता है और जब हीरा निर्माताओं को पता चलता है कि उनके तैयार माल का भुगतान खरीदारों ने ले लिया है, तो खरीदार कपड़ा बाजार के बिचौलियों जैसी नीति अपनाकर हीरा निर्माताओं को सबक सिखाते हैं। जिसके कारण, हीरा निर्माता भी पुलिस स्टेशन या अदालत में पकड़े जाने से बचना चाहते हैं, इसलिए व्यापारी उनकी साख का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह का अवैध धंधा करते हैं। जब कपड़ा बाजार के व्यापारियों की तरह हीरा निर्माताओं की भी जांच की जाती है, तो व्यापारियों की धज्जियां उड़ जाती हैं। वही व्यापारी हवाई जहाज से घूमते हैं और रैलियां करते हैं।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री मूल रूप से सूरत के निवासी हैं और मजूरागेट क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे गंभीर अपराधों के लिए सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में विशेष वस्त्र धोखाधड़ी के मामलों के लिए एक निजी जांच अधिकारी और स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए, जो केवल वस्त्र संबंधी अपराधों की जांच कर सके। इसी प्रकार, हीरे की धोखाधड़ी के मामलों के लिए महिधरपुरा और वराछा पुलिस स्टेशनों में विशेष निजी जांच अधिकारी और स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए, जो केवल हीरे की धोखाधड़ी की जांच कर सके।

इस संबंध में, विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष, छगनलाल दौलतराम मेवाड़ा, उन व्यापारियों से हलफनामा प्राप्त करेंगे जिन्होंने एजेंसियों, बिचौलियों और खरीदारों को समय से पहले भुगतान कर दिया है और वह भुगतान मूल थोक कपड़ा व्यापारियों या कच्चे हीरे के निर्माताओं को प्राप्त नहीं हुआ है। वे उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर करके व्यापारियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।

अंत में, यह संगठन उपमुख्यमंत्री से विशेष अपील करता है कि वे ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और उन पर कार्रवाई करें।

सूरत के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण और भ्रष्ट भवन प्रबंधन

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर के सचिन, सूदा, कनकपुर, कंसद, पालीगम, तलंगपुर, पलसाना, कडोदरा, जोलवा, तातिथैया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, साथ ही हजीरा, किम, पिपोदरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी, कामगार वर्ग के लिए 8x8 या 10x10 के कमरे उन इमारतों में बनाए जा रहे हैं जिनमें हवा नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन हर कमरे में, जहां सांस लेना मुश्किल है, 5 से 7 लोग किराए पर रह रहे हैं। उपरोक्त क्षेत्रों के पदाधिकारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से इन इमारतों का निर्माण करने वालों को फायदा हो रहा है, जिसके चलते बेतरतीब ढंग से इमारतें बन रही हैं और कामगार वर्ग का आर्थिक शोषण हो रहा है। इन इमारतों का निर्माण करने वाले छोटे-बड़े व्यवसाय करके पैसा कमाते हैं और निर्माण का कोई ज्ञान या अनुभव न होने के बावजूद, वे किसी वास्तुकार या सिविल इंजीनियर से सलाह लिए बिना या भवन योजना और नक्शे प्रस्तुत किए बिना ही इस प्रकार, कारखाने में रहने वाले मजदूर 8x8 या 10x10 के कमरों में जेल की कोठरियों की तरह रहते हैं । क्योंकि गर्मियों में इन कमरों में रहने वाले मजदूरों की हालत बेहद खराब हो जाती है। एक ओर, अगर कोई मजदूर कारखाने की गर्मी से थककर घर आता है, तो हवा और रोशनी न होने के कारण कमरों की भीषण गर्मी से परेशान होकर पसीने से तरबतर हो जाता है। यह उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है। जो लोग इस तरह की इमारतें बनाते हैं, वे ऊपरी हिस्से में कमरे बनाते हैं और निचले हिस्से में दुकानें बनाते हैं। वे इन दुकानों को खुद को या अपने करीबी रिश्तेदारों को किराए पर देते हैं और उनमें एक किराने की दुकान भी खोलते हैं।

वे अन्य दुकानों को भी दूसरों को किराए पर देते हैं और उनसे किराया वसूलते हैं। अब चूंकि किराने की दुकान भी इमारत के मालिक या उसके करीबी रिश्तेदारों की ही होती है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि उसके कमरों में रहने वाले मजदूर उसकी अपनी दुकान से ही किराने का सामान न खरीदकर दूसरी दुकानों से ही खरीदें ? इस तरह व्यापारी मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उल्लासनगर के नकली और घटिया सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, तेल आदि को ब्रांडेड सामान बताकर बेचा जाता है और असली सामान की कीमत वसूल की जाती है। इसके लिए मजदूरों की मासिक डायरी बनाई जाती है। जिसमें दाल, चावल, फलियां और राशन से संबंधित सभी खाद्य पदार्थों को घटिया बताकर ब्रांडेड सामान बताकर पैसे वसूले जाते हैं। जब डायरी का मासिक हिसाब-किताब किया जाता है, तो भुगतान करते समय मजदूर सामान की ऊंची कीमत या गुणवत्ता की तुलना नहीं करते हैं। इस कारण दुकानदार कुल राशि में गलती कर देता है और डायरी में लिखी राशि ही दुकानदार को दे देता है, जिसके बाद मजदूर चला जाता है। दुकानदार द्वारा बेचा गया सामान घटिया गुणवत्ता का होता है, जो मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है।

लेकिन दीर्घकाल में इसका प्रभाव यह है कि श्रमिकों में बीमारी की दर बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है। इस संबंध में, स्वास्थ्य विभाग और वजन विभाग द्वारा खाद्य एवं किराना दुकानों में बिकने वाली अस्थायी वस्तुओं की नियमित जांच आवश्यक है । हालांकि, इस मामले में सरकारी व्यवस्था गहरी नींद में है। ऊपर निर्मित इमारतों में 8x8 या 10x10 आकार के 50 से 100 कमरे हैं , और ये कमरे कैसे बनाए जा रहे हैं? इसका कारण यह है कि इन इमारतों का निर्माण करने वाले लोगसूरत नगर निगम, सुदा, नगर पंचायत या अन्य पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा "नियंत्रित" हैं।

इन भ्रष्ट अधिकारियों और पदाधिकारियों के "पाप" के कारण, किराया वसूलने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में अव्यवस्थित इमारतें बना रहे हैं, जिससे मजदूरों का जीवन खतरे में पड़ रहा है स्थायी आय और किराए के लिए निर्मित भवनों का आज तक किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी ने दौरा नहीं किया है और भवनों की गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता के संबंध में कोई गंभीर निरीक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण श्रमिक वर्ग दयनीय जीवन जीने को विवश है । विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, प्रत्यक्ष निरीक्षण न करने का कारण यह है कि भवन मालिकों द्वारा अधिकारियों या पदाधिकारियों को उनके सहायकों द्वारा प्रति भूखंड निर्धारित राशि के सीलबंद लिफाफे दिए जाते हैं, यानी एक, दो या अधिक भूखंडों को मिलाकर निर्मित भवनों के लिए , इसलिए अधिकारी और पदाधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करने से बचते हैं। चूंकि भवन मालिक उक्त भवनों में किराए पर दिए गए कमरों में रहने वाले लोगों की कोई गहन जांच नहीं करते , इसलिए कुछ समय पहले पालसाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि मादक पदार्थों के साथ पकड़ा गया था। यह भवन मालिकों की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी का एक उदाहरण है। क्या भवन मालिक यह जांच नहीं करते कि कमरा किराए पर लेने वाला व्यक्ति कहां काम करता है? क्या उसके पहचान पत्र असली हैं या नकली? उसका व्यवसाय क्या है? इस तरह की गहन जांच किए बिना ही कमरे किराए पर दे दिए जाते हैं।

इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस व्यवस्था की ज़िम्मेदारी अधिकारियों और पदाधिकारियों से कहीं अधिक है। क्योंकि उसे स्वयं किरायेदारों के बारे में मालिकों से जानकारी एकत्र करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। इसके विपरीत, भ्रष्टाचार से ग्रस्त पुलिस व्यवस्था होली, दिवाली या अन्य त्योहारों के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऐसे भवनों के मालिकों को अपने सहायकों के माध्यम से पुलिस थानों में बुलाती है और उन्हें अपना ही प्रशासन चलाने के लिए मजबूर करती है। इस खेल में, कुछ अधिकारी, नशीले पदार्थों के व्यापार को भली-भांति जानते हुए भी, आंखें मूंद लेते हैं और अपनी स्वार्थपरता पूरी करते हैं, जिसके कारण नशीले पदार्थों का व्यापार जारी रहता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस प्रकार की घटिया इमारतें पहले भी ढह चुकी हैं, जिससे कई लोगों की जान-माल की हानि हुई है। इसके अलावा, यदि इन कमरों में रहने वाले श्रमिकों के बीच किसी विवाद या झगड़े में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वे आत्महत्या कर लेते हैं और उचित जांच किए बिना शव को मृतक के परिवार को सौंप देते हैं।

इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है? इस प्रकार, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक अपना जीवन ईश्वर पर भरोसा रखते हुए व्यतीत करते हैं और अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

वेरावल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछुआरों के लिए एक्सेस पास की सुविधा लॉन्च होगी

एक्सेस पास मछुआरों को गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्याखेट के लिए आधिकारिक अनुमति देगा, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को मिलेगी गति

गुजरात में एक्सेस पास से मछुआरे बनेंगे सशक्त, निर्यात में होगी बढ़ोतरी

गांधीनगर : भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) नियमों को लागू करने और गहरे समुद्र में मत्स्याखेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह 20 फरवरी को वेरावल में विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास फ्रेमवर्क लॉन्च करेंगे। इस नए ढांचे से मछुआरों को गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्याखेट के लिए आधिकारिक अनुमति (एक्सेस पास) लेना आसान हो जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह पहल भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगी। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, तब एक्सेस पास की पहल परंपरागत और छोटे पैमाने के मछुआरों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को सशक्त बनाएगी। उल्लेखनीय है कि एक्सेस पास भारत के ईईजेड में मछुआरों को मत्स्याखेट के लिए कानूनी और पारदर्शी तरीके से अनुमति देगा। यह उन्हें गहरे समुद्री क्षेत्रों में टूना जैसी उच्च-मूल्य की प्रजातियों को पकड़ने में मदद करेगा तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन एवं उचित ट्रैकिंग भी सुनिश्चित होगी। क्यों महत्वपूर्ण है एक्सेस पास प्रदान करने का निर्णय

भारत के पास 11,099 किलोमीटर की तटरेखा और 24 लाख वर्ग किलोमीटर का ईईजेड है। विशाल समुद्री संसाधन से समृद्ध होने के बावजूद अधिकतर मछली पकड़ने की गतिविधियां 40-50 नॉटिकल मील (समुद्री मील) तक ही सीमित रहती है। ईईजेड नियम, 2025 में मत्स्याखेट के टिकाऊ उपयोग को 4 नवंबर, 2025 को प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। ये नियम एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा बनाते हैं, जिसका उद्देश्य ईईजेड में मत्स्याखेट गतिविधियों का जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से विस्तार करना है।

यह ढांचा निगरानी, अनुपालन और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, साथ ही इससे मत्स्य पालन क्षेत्र की आय में भी बढ़ोतरी होगी। यह भारत के सीफूड यानी समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को भी मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। भारत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 62,408 करोड़ रुपए मूल्य के सीफूड निर्यात के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। गुजरात में वेरावल एक मुख्य मछली प्रसंस्करण और निर्यात केंद्र है और इसकी रणनीतिक लोकेशन के कारण इसे एक्सेस पास के लॉन्च के लिए चुना गया है। भारत सरकार का उद्देश्य देश भर में 34 मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टरों का विकास करना है, जिसमें वेरावल सीफूड निर्यात, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। यह पहल सरकार के ब्लू इकोनॉमी विजन के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के सीफूड निर्यात का लाभ सीधे मछुआरों और तटीय समुदायों को मिले और प्रीमियम वैश्विक बाजारों तक पहुंच भी सुनिश्चित हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 (यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत व्याख्यायित वह समुद्री क्षेत्र होता है, जो किसी देश की समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। इस जोन में देश को समुद्री संसाधनों की खोज, संरक्षण और उपयोग करने के विशिष्ट अधिकार मिलते हैं, जिसमें मत्स्याखेट, ऊर्जा उत्पादन और खनिजों का दोहन शामिल है। लगभग 24 लाख वर्ग किमी में फैले ईईजेड के साथ, भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री क्षेत्र वाले देशों में से एक है। यह क्षेत्र टिकाऊ मत्स्य पालन विकास, आजीविका उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और निर्यात वृद्धि के लिए अपार अवसर प्रदान करता है।

वेरावल स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्याखेट और एक्सेस पास की सुविधा लॉन्च होने से यह क्षेत्र मत्स्य पालन विकास के एक मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा, जो समुद्री संसाधन वृद्धि और निर्यात में गुजरात के नेतृत्व को दिखाता है।

पश्चिम रेलवे ने मिशन जीरो स्क्रैप के तहत स्क्रैप बिक्री में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान स्क्रैप निपटान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत पश्चिम रेलवे की अपने सभी प्रतिष्ठानों एवं इकाइयों को स्क्रैप-मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे ने 17 फरवरी, 2026 तक कुल 506.63 करोड़ रुपये की स्क्रैप बिक्री दर्ज की है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 470 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे ने यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष (2024–25) की तुलना में 5 सप्ताह पहले हासिल कर ली है। पिछले वर्ष यह उपलब्धि 21 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई थी।

यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे के कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, बेहतर हाउसकीपिंग तथा स्क्रैप सामग्री की समय पर पहचान एवं निपटान के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के सतत प्रयासों को दर्शाती है।

सघन टिकट जांच अभियान में बिना टिकट यात्रिओं पर सख्त कार्रवाही

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वैध यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने तथा बिना टिकट/अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर गहन टिकट जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री नरेन्द्र कुमार के निर्देशन में आयोजित दिनांक 17.02.2026 को चलाए गए टिकट जांच अभियान में कुल 931 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 397 मामले बिना टिकट यात्रा के थे। जिसके फलस्वरूप यात्रियों से जुर्माने के रूप में कुल 5,82,750 की दंड राशि वसूल की गई।

यह उपलब्धि नियमित टिकट जांच व्यवस्था, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में वृद्धि तथा

वाणिज्य एवं टिकट जांच स्टाफ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि यह सफलता बिना किसी विशेष फोर्ट्रेस, मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी-स्तरीय विशेष अभियान के, नियमित प्रवर्तन कार्यवाही के माध्यम से प्राप्त की गई है।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के उन्नत ए.सी. प्रतीक्षालय को मिला यात्रियों का जबरदस्त प्रतिसाद,100,000 से अधिक यात्रियों ने उठाया लाभ

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु आधुनिक वातानुकूलित (ए.सी.) प्रतीक्षालय को उन्नत एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसे यात्रियों का अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है।

यह ए.सी. प्रतीक्षालय 394 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थापित है। इसका संचालन मेसर्स क्वालिटी कैटरर्स, ईस्ट दिल्ली द्वारा अनुबंध के अंतर्गत किया जा रहा है। अनुबंध में प्रतीक्षालय का उन्नयन, रखरखाव, स्वच्छता, प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा संचालन तथा यात्रियों से निर्धारित उपयोग शुल्क का संग्रहण सम्मिलित है। दिनांक 26.11.2025 से 18.02.2026 की अवधि के दौरान 1,00,000 से अधिक यात्रियों ने ए.सी. प्रतीक्षालय की सुविधा का लाभ उठाया, जिससे लगभग

25,00,000/- की उपयोग शुल्क आय प्राप्त हुई है। यह आँकड़े इस सुविधा की लोकप्रियता एवं उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

ए.सी. वेटिंग हॉल में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएँ

- कुल 250 यात्रियों की आरामदायक बैठने की क्षमता।
- पेयजल एवं रिफ्रेशमेंट स्टॉल, जहाँ हॉट एवं कोल्ड बेवरेज, स्नैक्स, लाइट मील, ब्रेकफ़ास्ट, डेज़र्ट एवं बेकरी आइटम्स उपलब्ध है जैसे- फ्लेवर्ड चाय/टी बैग चाय, कॉफी, सूप, लस्सी इडली-वड़ा सांभर, वेज बिरयानी, समोसा,कचौरी, वेज, पनीर, बर्गर आदि।
- सेल्फ-डिस्पेंसिंग मशीन के माध्यम से गैर-मादक पेय पदार्थों की उपलब्धता।
- यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल डेस्क सुविधा।
- समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, टॉयलेटरीज एवं ओटीसी दवाइयों की बिक्री।
- पुरुष एवं महिला यात्रियों के लिए पृथक एवं स्वच्छ शौचालय तथा स्नानघर की व्यवस्था।
- स्नानघर में गर्म पानी उपलब्ध कराने हेतु गीजर की सुविधा।
- मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट्स।

उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की दर सूची का वाणिज्य विभाग द्वारा सत्यापन किया गया है तथा इन्हें दरों के अनुरूप पाया गया है। इससे यात्रियों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं।

अहमदाबाद मंडल यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा स्टेशन सुविधाओं के सतत उन्नयन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

कृषि में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान : एग्रीस्टेक योजना के तहत AI कॉल से होगा किसानों के डेटा का सत्यापन

वडोदरा। भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। बदलते समय के साथ खेती में भी तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों को अधिक सटीक जानकारी, बेहतर योजनाओं का लाभ और पारदर्शी व्यवस्था मिल सके। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'एग्रीस्टेक' योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों से ऑटोमेटेड फोन कॉल और WhatsApp संदेश के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।

यह पहल कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय खोल रही है। अब तक फसलों का सर्वे पारंपरिक तरीकों से किया जाता था, जिसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना बनी रहती थी। लेकिन एग्रीस्टेक

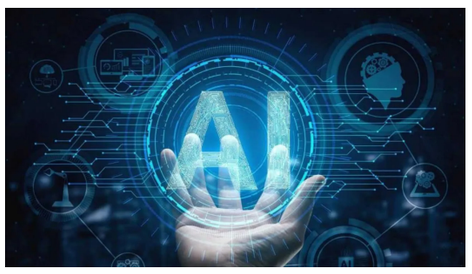

योजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम लागू होने के बाद सर्वेयर खेतों में जाकर मोबाइल ऐप की सहायता से फसलों की तस्वीरें लेते हैं और उन्हें जियो-टैग के साथ रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रक्रिया से फसल की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और प्रकार का सटीक डेटा तैयार होता है। अब इस डेटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित बॉट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जो किसानों से सीधे संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करेगा। इस नई प्रणाली के तहत जिन किसानों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा हो चुका है, उन्हें एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल या WhatsApp संदेश प्राप्त होगा। इस कॉल या संदेश में किसानों से उनकी फसल, खेत के आकार और अन्य संबंधित जानकारी की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी और इसमें किसी व्यक्ति का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि डेटा की सटीकता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि डेटा को पूरी तरह विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है। जब सरकार के पास किसानों और उनकी फसलों का सटीक डेटा उपलब्ध होगा, तब योजनाओं का लाभ सही किसानों तक तेजी से और बिना किसी बाधा के पहुंचाया जा सकेगा। इससे फसल बीमा, सब्सिडी, मुआवजा और अन्य सरकारी सहायता योजनाओं का वितरण अधिक प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा। वडोदरा के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर (एक्सटेंशन) ने किसानों से अपील की है कि वे इन कॉल और संदेशों को गंभीरता से लें और सही जानकारी प्रदान करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य केवल डेटा सत्यापन करना है। किसानों को किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी से दूर रहने की सलाह दी गई है, ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कॉल पूरी तरह सुरक्षित और स्वचालित होगी। इस प्रक्रिया के दौरान किसानों से किसी प्रकार का OTP, बैंक विवरण या निजी गोपनीय जानकारी नहीं मांगी जाएगी। यह विशेष रूप से इसलिए सुनिश्चित किया गया है, ताकि साइबर धोखाधड़ी की किसी भी संभावना को रोका जा सके और किसानों का विश्वास बना रहे। यदि किसानों को कोई संदिग्ध कॉल प्राप्त होती है, तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

एग्रीस्टेक योजना का व्यापक उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से सरकार एक मजबूत और विश्वसनीय कृषि डेटाबेस तैयार कर रही है, जिससे भविष्य में कृषि नीति निर्माण अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकेगा। जब सरकार के पास सटीक डेटा होगा, तब सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित किसानों की पहचान तेजी से की जा सकेगी और उन्हें समय पर सहायता प्रदान की जा सकेगी। इस योजना से किसानों को कई अन्य लाभ भी मिलने की संभावना है। उदाहरण के लिए, डिजिटल डेटा के आधार पर किसानों को उनकी फसल के अनुसार उचित सलाह, बाजार की जानकारी और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

एआई में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का निर्णायक कदम, जीत अडाणी ने बताया भविष्य का रोडमैप

जीत अडाणी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि देश को आयात पर निर्भर रहने की बजाय स्वदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। उनका मानना है कि एआई अब केवल तकनीकी विकास का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक नेतृत्व का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। यदि भारत को आने वाले दशकों में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होना है, तो उसे अपने संसाधनों, ऊर्जा क्षमता और डिजिटल संरचना को मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर एआई इकोसिस्टम तैयार करना होगा।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई के क्षेत्र में नेतृत्व केवल सॉफ्टवेयर या एल्गोरिद्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए मजबूत ऊर्जा ढांचा, विशाल कंप्यूटिंग क्षमता और सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उन्होंने इन तीनों तत्वों को आधुनिक राष्ट्र-निर्माण के प्रमुख स्तंभ बताया और कहा कि जब तक भारत इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक वह एआई की वैश्विक दौड़ में स्थायी रूप से अग्रणी स्थान हासिल नहीं कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व के प्रमुख देश एआई को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बना रहे हैं। एआई का उपयोग रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, परिवहन और औद्योगिक उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह केवल एआई तकनीक का उपभोक्ता बनकर न रहे, बल्कि इसका निर्माता और नवप्रवर्तक भी बने। इसके लिए देश को अपने डेटा, कंप्यूटिंग संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होगा।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उन्होंने हरित ऊर्जा आधारित संप्रभु एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 100 अरब डॉलर के निवेश की योजना की जानकारी दी। यह निवेश केवल डेटा सेंटर के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और एकीकृत डिजिटल नेटवर्क का विकास शामिल होगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में एक ऐसा एआई इकोसिस्टम तैयार करना है, जो पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों पर आधारित हो और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 5 गीगावाट क्षमता वाला समेकित ऊर्जा और कंप्यूटिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जो देश की बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह ऊर्जा ढांचा पूरी तरह हरित ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रकार यह परियोजना न केवल तकनीकी बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला दशक 'इंटेलिजेंस सेंचुरी' के रूप में जाना जाएगा, जिसमें डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत का निर्धारण करेंगे। जिस देश के पास अधिक डेटा, मजबूत एल्गोरिद्म और उच्च कंप्यूटिंग क्षमता होगी, वही देश वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करेगा। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी डिजिटल और ऊर्जा संरचना को इस प्रकार विकसित करे, जिससे वह इस नई प्रतिस्पर्धा में पीछे न रह जाए।

सोनगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले नाबालिग बालक को रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से मिला सुरक्षित संरक्षण

दिनांक 18 फरवरी 2026 को रेलवे सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सतर्क ड्यूटी के दौरान सोनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या–01 पर कार्यरत प्वाइंट्समैन श्री बलवीर मीना को एक नाबालिग बालक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला। पूछताछ करने पर बालक अपने संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। तत्पश्चात प्वाइंट्समैन द्वारा उसे तत्काल स्टेशन मास्टर श्री पंकज कुमार के पास लाया गया।

स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दिए जाने पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के दौरान बालक अपना सही नाम एवं पता स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे सोनगढ़ स्टेशन मास्टर कार्यालय

में सुरक्षित बैठाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

इसके पश्चात स्टेशन प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना को दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई। बालक की आयु लगभग 14 से 15 वर्ष आंकी गई है। रेल प्रशासन एवं आरपीएफ की सजगता, संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप नाबालिग बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, भावनगर के माध्यम से सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया तथा आगे की विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य हेतु लिए गए ब्लॉक के कारण भावनगर मंडल की कुछ ट्रेन सेवाएँ होंगी प्रभावित

राजकोट मंडल के अंतर्गत जामनगर–लाखाबावल सेक्शन में डबल ट्रैक निर्माण कार्य के लिए परिचालन ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के चलते दिनांक 21 फरवरी से 26 फरवरी, 2026 तक कुछ ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ेगा। भावनगर रेलवे मंडल की प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है —

आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें

1. दिनांक 25.02.2026 को भावनगर से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 19209 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। अतः यह ट्रेन राजकोट–ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
2. दिनांक 26.02.2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इस प्रकार यह ट्रेन ओखा–राजकोट के

बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेन

1.दिनांक 26.02.2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12905 पोरबंदर–शालीमार एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग वाया जेतलसर–भक्तिनगर संचालित किया जाएगा।

रिशेड्यूल की गई ट्रेन

1.दिनांक 24.02.2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को ओखा स्टेशन से 2 घंटे विलंब से प्रस्थान करने के लिए रिशेड्यूल किया गया है।

मार्ग में रेगुलेट (विलंबित) की जाने वाली ट्रेन

1.दिनांक 21, 22 एवं 23 फरवरी, 2026 को गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को मार्ग में लगभग 25 मिनट रेगुलेट (लेट) किया जाएगा।

रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं तथा ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट का अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

महेसाणा–जगुदन सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के महेसाणा-जगुदन स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 976 के पुनर्निर्माण के संबंध में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जो निम्नानुसार हैः-

पूर्णतः रद्द ट्रेन

दिनांक 20.02.2026 की ट्रेन संख्या 79435/79436 साबरमती-पाटन-साबरमती डेमू रद्द रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

दिनांक 19.02.2026 की 19032 योगनगरी ऋषिकेश-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

दिनांक 19.02.2026 की 19412 दौलतपुर चौक-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। यात्री ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।